न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्रप्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या – 285/2017

1– उगमसिंह पुत्र राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी डेह तहसील जायल जिला नागौर।
2– करणीसिंह पुत्र राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी डेह तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह दतक पुत्र सांवतसिंह, जाति राजपूत निवासी डेह तहसील जायल जिला नागौर।
2– सायरसिंह पुत्र राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी डेह तहसील जायल जिला नागौर।
3– तहसीलदार जायल जिला नागौर।
4–शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डेह

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0एक्ट 1956

उपस्थित अधिवक्ता–
1. शैलेन्द्र सिंह कालवी वादीगण की और से।
2. दशरथसिंह राठौड़ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से

:: निर्णय ::

दिनांक 16.04.18

1– वाद वादीगण के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण दोनो आपस में सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उनका पिता है प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का भाई है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि मौजा किसनपुरा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

जायल में खसरा नं 1207 रकबा 111.15 बीघा आई हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण राजकीय रेकर्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम आ गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आजकल वादीगण से नाराज है तथा भू माफियाओं के प्रभाव मे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के प्रभाव में है इसलिए वे वादीगण को उनके हिस्से से वंचित करना चाहते है। तथा भूमि को बेचान करने की बातें करने लगे है तथा गांव में एलानिया कहने लग गये है कि भूमि को बेचान करेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है तथा अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को ऐसा नुकसान होगा जो किसी भी मुआवजा पर पुरा नही होगा इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश किया जा रहा है।

2– वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का 1/4 , 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ दर्ज करने मे अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामिल गैर हाजिर रहने के कारण इन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 4 के पास यह भूमि पूर्व में रहन थी जिसका ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र पक्षकारान ने राजीनामा के साथ पेश किया है इसलिए उनको अब नोटिस देने की आवश्यक्ता नही है। राजीनामा बाद तस्दीक पत्रावली में शामिल किया गया। वाद के साथ में नकलें जमाबंदी मौजा किसनपुरा की वर्तमान तथा संवत 2059 से 2062 तक की पेश किये। राजीनाम हो जाने के कारण साक्ष्य लेने की आवश्यक्ता नही होने से साक्ष्य नही ली गई।

3– प्रकरण मे पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र के अनुसार वादीगण को तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह खातेदार घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

4– पत्रावली का ध्यानपूर्वक एवं भली भांति अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य में नकल जमाबंदी मौजा किसनपुरा की वर्तमान में खातेदार प्रतिवादी राजूसिंह दर्ज है। तथा जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 से यह भूमि राजूसिंह को अपने पिता से विरासत में प्राप्त होना साबित है। तथा इस तथ्य से प्रतिवादीगण ने भी इन्कार नही किया है। अतः वादीगण का इस भूमि में बराबर का हिस्सा होना साबित है। वाद स्वीकर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत वादीगण की इस्तदुआ के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

मौजा किसनपुरा तहसील जायल में स्थित भूमि खसरा नं. 1207 रकबा 111.15 बीघा को वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की घोषित की जाकर उसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है।

16.4.18

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद सं० 285 / 2017

–: आदेश :–

वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा [illegible] जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

16.4.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.4.18

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner